न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर
पीठासीन अधिकारी :– श्री नरेश कुमार मालव, R.A.S.

अपील संख्या : 55 / 2015

श्रवण पुत्र रामचन्द्र जाट, जाति–जाट, निवासी–ग्राम चकवाडा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट्

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार–फागी, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आज्ञा दिनांक 10.09.2013 तहसीलदार, फागी, जिला–जयपुर बमिसल संख्या 60 / 13 उनवानी सरकार बनाम श्रवण अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम, 1956)

उपस्थितः–

1. श्री सत्यनारायण शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट् की ओर से।
2. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।

निर्णय **दिनांक 29.11.2018**

तहसीलदार, फागी ने अपनी आज्ञा दिनांक 10.09.2013 द्वारा श्रवण पुत्र श्री रामचन्द्र जाट, जाति–जाट, निवासी–ग्राम चकवाडा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर को ग्राम–चकवाडा की आराजी खसरा नम्बर 2445 रकबा 12 बीधा में से 01 बिस्वा किस्म जमीन गैर–मुमकिन रास्ता भूमि पर रोड़ी डालकर सम्वत् 2070 में अतिक्रमण करने का दोषी पाये जाने से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखल किये जाने की आज्ञा दी है और अतिक्रमण की गई सामग्री रोड़ी इत्यादि जब्त कर निलामी कर राजकोष में जमा कराने व विवादग्रस्त आराजी से बेदखल करने तथा वार्षिक लगान राशि 0.04 की 50 गुणा राशि रू0 2 / – शास्ति आरोपित कर, आदेश की पालना में पटवारी हल्का को मांग कायमी, बेदखली, अतिक्रमण की गई सामग्री रोड़ी इत्यादि जब्त कर निलामी कर राजकोष में जमा कराने हेतु लिखे जाने के तथा पश्चात्वर्ती अतिक्रमण के लिए अतिक्रमी श्रवण पुत्र श्री रामचन्द्र जाट को 90 दिन की सिविल कारावास की सजा के आदेश दिये गये हैं, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराई जाकर नोटिस रेस्पोडेन्ट् जारी किये गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट् के विद्वान् अभिभाषक श्री सत्यनारायण शर्मा का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 10.09.2013 विधि–विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत पारित की गई है। मातहत न्यायालय ने अपीलान्ट् को साक्ष्य–सबूत पेश करने का समुचित अवसर दिये बिना और बिना नोटिस दिये मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर मनमाने तौर पर एकतरफा आज्ञा पारित की है, जो निरस्तनीय है। अपीलान्ट को कभी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। जिस हरिनारायण को नोटिस प्राप्त करना बताया है वह अपीलान्ट के परिवार में नहीं है बल्कि अपीलान्ट का हरिनारायण से 10–15 वर्षो से बोलचाल ही बन्द है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनियमित तामील को वैध मानते हुऐ एकतरफा आज्ञा पारित की है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट गरीब कृषक है, अपीलान्ट के घर कच्चे मिट्टी के बने हुए है । अपीलान्ट को कभी रोड़ी की आवश्यकता ही नही पड़ी जिन लोगों की रोड़ी थी उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा चुकी है। अपीलान्ट ने अपने घर में कोई पुख्ता तामीर कार्य नही करवाया है, पडोसियों ने गत वर्षो में अपनी पट्टेशुदा भूमि में मकान पुख्ता बनवाये है, इन पडोसियों ने अपीलान्ट के मकान के साईड में रोड़ी डाली थी जो उठाकर ले गए। अपीलान्ट् का आराजी खसरा नं0 2445 गैर–मुमकीन रास्ता पर कोई अतिचार नहीं है। आराजी खसरा नम्बर 2445 पर अपीलान्ट का अतिचार बता कर वास्तविक त्रुटि पटवारी हल्का ने की है मौके पर पटवारी हल्का ने कोई जांच नहीं की है पटवारी हल्का की रिपोर्ट की गहराई से बिना जांच पड़ताल किये ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आज्ञा पारित की है जो विधि–विरूद्ध होने से निरस्तनीय हैं। अपीलान्ट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होना जाहिर कर सिविल कारावास की सजा दी है जबकि इस सम्बन्ध में ऐसे कोई तथ्य पत्रावली पर नही है कि अपीलान्ट द्वारा पूर्व में कब अतिचार किया, कब्जा किस प्रकार किया एवं किससे अर्थात् मकान, बाड़ा बनाकर अथवा काश्तकर कब्जा किया हैं। अपीलान्ट के विरूद्ध अतिचार की कार्यवाही कब की और पूर्व में कब अपीलान्ट को बेदखल किया गया। पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है जो यह प्रकट करते हो कि अपीलान्ट द्वारा पूर्व में विवादग्रस्त आराजी पर अतिचार किया गया हो और तहसीलदार द्वारा बेदखली के आदेश पारित किये गये हो और अपीलान्ट को भौतिक रूप से बेदखल किया गया हो समस्त

कार्यवाही फौरी तौर पर कागजी कार्यवाही कर सिविल कारावास जैसा कठोर दण्ड अपीलान्ट को तथ्यों व बिना किसी आधार के दिया गया है जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आज्ञा की अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी दिनांक 17.10.2013 को पुलिस चौकी से सिपाही ने आकर घरवालों को गिरफ्तारी वारन्ट के बारे में बताया तो जानकारी हुई, ऐसी परिस्थिति में दिनांक 18.10.2013 को तहसील कार्यालय में जाकर अपीलाधीन निर्णय की सत्यापित नकलें लेकर जानकारी की दिनांक से अपील मय शपथ प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलान्ट् स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 10.09.2013 निरस्त फरमाई जावें ।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप पारित की गई। अपीलाधीन आज्ञा पारित किये जाने से पूर्व अपीलान्ट्–गैरसायल को विधि–पूर्ण तरीके से नोटिस दिया गया हैं। नोटिस अपीलान्ट के भाई ने प्राप्त किया है। अपीलान्ट् स्वयं जान–बूझ कर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुआ है। मौके पर अतिचार था अतिचार की रिपोर्ट करने के लिऐ पटवारी हल्का अधिकृत है और अधिकृत कार्मिक द्वारा पूर्व व पश्चात्वर्ती अतिचार की रिपोर्ट की है। अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही कर नियमानुसार आज्ञा दिनांक 10.9.2013 पारित की गई है। अपीलान्ट् बार–बार अतिचार किये जाने का दोषी हैं। अतः अपील अपीलान्ट् खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी हल्का दि. 02.08.2013 में विवादग्रस्त आराजी गैर–मुमकीन रास्ता होना दर्ज है इसके खण्डन में अपीलान्ट् द्वारा ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है जो यह जाहिर करते हो कि अतिक्रमण किया गया रकबा आराजी खसरा नं0 2445 का नहीं हो और न ही पत्रावली पर ऐसे कोई साक्ष्य है जो यह जाहिर करते हो कि विवादग्रस्त आराजी गैर–मुमकीन रास्ता नहीं हो। अपीलान्ट् का यह कथन मात्र कि अपीलान्ट के पडोसियों ने अपीलान्ट के मकान के साईड में रोड़ी डाली थी जो उठा कर ले गये, साक्ष्यों के अभाव में स्वीकार्य नहीं हैं। अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर यह बखूबी सिद्ध है कि वादग्रस्त आराजी गैर–मुमकीन रास्ता होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही की गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध

पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 02.08.2013 के केफियत कॉलम में अतिक्रमी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होना अंकित किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो धारा 91 का नोटिस अपीलान्ट्–गैरसायल को दिनांक 05.08.2013 को जो जारी किया गया हैं उसमें यह अंकित किया गया हैं कि अपीलान्ट् गैर–सायल द्वारा पूर्व मे कृषि वर्ष 2069 में भूमि पर अतिचार किया गया हैं। ऐसी स्थिति में सिविल कारावास वाला अंश सशर्त माफ किया जाता है कि तहसीलदार, फागी वादग्रस्त आराजी का स्वयं मौका देखे। मौके पर से अतिक्रमण हटा लिये जाने का अतिक्रमी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जावे और तहसीलदार, फागी सन्तुष्ट हो जावे कि मौके से कब्जा हटा लिया गया है तो सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी अन्यथा नही। अतः उक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट् आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं और अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 10.09.2013 मे सिविल कारावास की सजा सशर्त माफ की जाती हैं। शेष भाग यथावत् रखे जाने के आदेश दिए जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

29/11

(नरेश कुमार मालव)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर